

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative & other matters)
Tuesday, 17 March 2020/ 27, Phalgun, 1941 (*Shaka*)

No.16

COMMENCEMENT OF BUDGET SESSION (THIRD PART OF FIRST SESSION) OF THE SEVENTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Budget Session (Third Part of First Session) of Seventh Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence **from Monday, 23 March, 2020** in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi-110054.

ALLOTMENT OF DAYS FOR TRANSACTION OF BUSINESS DURING BUDGET SESSION:

Sittings of the Legislative Assembly have been tentatively fixed for **23, 24, 25, 26 & 27 March, 2020**. Subject to the exigencies of business, the Sitting of the House may be extended.

TIME OF SITTING:

The Sitting of the Legislative Assembly will commence **at 2.00 P.M. on 23 March, 2020** and continue till it is adjourned for the day. The quorum bell will be rung at 1.55 P.M. to enable Members to take their seats.

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE-280:

As per direction of Hon'ble Speaker, Members who want to raise matters under Rule-280 may give notice of the same by **05.00 P.M on the date preceding the date of sitting on which the matter is proposed to be raised**. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at **12.00 Noon** on the day on which it is proposed to be raised. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.

Hon'ble Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. Any disallowed deviation will be treated as summarily expunged from the proceedings. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PROCEDURE OF NOTICES:

- (a) Kind attention of the Members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:
- (1) Every Notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the Member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Branch between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.
 - (2) A Notice received in the Notice Branch after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.
 - (3) While the House is sitting, copies of Notices except of cut motions, received under sub-rule (1) shall be circulated by the Secretary to Members by next day.
- (b) Every Notice should be signed in ink by the Member giving the Notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Notice Branch. **THE NOTICE BRANCH IS LOCATED IN ROOM NO. 46.**

- (c) All Notices delivered in the Notice Branch are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.
- (d) As the Notice Branch is solely responsible for transmission of the Notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their Notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Member does so, it is not likely to be taken note of.
- (e) For the Convenience of Hon'ble Members, the Notice Branch shall remain open during office hours.

NOTE:- CELLULAR PHONES, I-PADS, TABLETS, LAPTOPS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC. MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.

**C. Velmurugan
Secretary**

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी
मंगलवार, 17 मार्च, 2020 / 27 फाल्गुन, 1941 (शक)

संख्या- 16

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सातवीं विधान सभा के बजट सत्र (प्रथम सत्र का तृतीय भाग) का प्रारंभ :

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सातवीं विधान सभा का बजट सत्र (प्रथम सत्र का तृतीय भाग) **सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 2020 से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054** में प्रारंभ होगा।

बजट सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटन :

कार्य निष्पादन के लिए विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर **23, 24, 25, 26 एवं 27 मार्च, 2020** के लिए निर्धारित की गई हैं। कार्य की अत्यावश्यकता होने पर सदन की बैठकें बढ़ायी जा सकती हैं।

बैठक का समय :

दिनांक 23 मार्च, 2020 को विधान सभा की बैठक **अपराह्न 02.00 बजे** से प्रारम्भ होगी और तब तक चलेगी जब तक उसे उस दिन के लिए स्थगित न कर दी जाए। माननीय सदस्यों को अपने स्थान ग्रहण करने के लिए अपराह्न 01:55 पर गणपूर्ति घंटी बजेगी।

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जो सदस्य **नियम 280** के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं, प्रस्तावित विषय की सूचना मामला उठाने की **तिथि से एक दिन पूर्व अपराह्न 05.00 बजे** तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग बैठक के दिन **मध्याह्न 12.00 बजे** सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी। बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु माननीय सदस्यों का स्वागत है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय मूल पाठ से न हटें। मूल स्वीकृत पाठ से हटकर उठाए गए मामले को सदन की कार्यवाही से विलोपित माना जाएगा। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से ही संबंधित होना चाहिए।

नोटिसों की प्रक्रिया :

- (क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार है:-
1. नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जाएगी तथा नोटिस शाखा में ही दी जाएगी जो कि इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिए खुली रहेगी।
 2. नोटिस शाखा में उप-नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएँ अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेंगी।
 3. जब सदन की बैठक हो रही हो तो कटौती प्रस्तावों के अतिरिक्त जो सूचनाएँ उप-नियम(1) के अंतर्गत प्राप्त होंगी, उनकी प्रतिलिपि सचिव द्वारा सदस्यों में अगले दिन तक वितरित कर दी जाएगी।
- (ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा की नोटिस शाखा में जमा कराना चाहिए। **नोटिस शाखा कमरा नंबर 46 में स्थित है।**

- (ग) विधान सभा की नोटिस शाखा में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।
- (घ) चूंकि विधान सभा की नोटिस शाखा ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है, अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएँ न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा सचिवालय के किसी अन्य अधिकारी/ शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिए गए नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- (ङ.) माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस शाखा कार्यालय समय के दौरान खुली रहेगी।

टिप्पणी:

कृपया मोबाइल फोन, आई. पैड्स, टेबलैट्स, लैपटोप्स या अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण आदि सदन के बाहर ही रखें।

सी.वेलमुरुगन
सचिव